

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/69704/GKP/GORAKHPUR/512/CFO

दिनांक: 12-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **P N CENTRAL ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO-53 DOHARYA KALA PALI SAHAJAWA, -, GORAKHPUR** तहसील - **SAHAJAWA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
P N CENTRAL ACADEMY	2	0	8.10 mt.

तथा प्लॉट एरिया **4330.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **P N CENTRAL ACADEMY** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-01-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KRISHNA TIWARI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-01-2026** से **16-01-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : FSSO की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें
- 2- नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।
- 3- स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये।
- 4-सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।
- 5-FSO समय-समय पर माकड्रिल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे
- 6-शा0 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार नवीनीकृत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-01-2026
स्थान : GORAKHPUR


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
SANTOSH KUMAR RAI

83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60

17-01-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.